

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 38/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/186

### अनवान

1. प्रजापति कालुराम पिता भैरा कुम्हार निवासी चावण्डखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामलाल पिता लालु गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

### प्रार्थीगण

### बनाम

1. अर्जुन पिता तौलीराम तेली निवासी हरिपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्यारा पिता नेनु तेली निवासी हरिपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शिवलाल पिता धन्ना तेली निवासी हरिपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नैना पिता मगनीराम तेली निवासी हरिपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जसु पुत्री अम्बालाल कुम्हार निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. देवीलाल पिता खुमा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

### विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत)

### उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज - प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1, 2, 4 एकपक्षीय

### निर्णय

दिनांक:-23.09.2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 149 में अंकित आराजी संख्या 872 रकबा 1.18 है 0 भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 20.06.2025 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी करायें जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।



सहायक क्लर्क  
(रा.डी.जे. रायपुर)

2. प्रार्थी के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1, 2, 4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 23.09.2025 को अमल में लाई गई विपक्षी संख्या 3, 5, 6 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
3. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 149 में अंकित आराजी संख्या 872 रकबा 1.18 है० भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2073-2076 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 149 में अंकित आराजी संख्या 872 रकबा 1.18 है० भूमि स्थित हैं। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।



(करुणा लाडोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी  
रायपुर, जिला अमीरगढ़

आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।





उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी  
रायपुर, जिला अमीरगढ़

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 38/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/186

**अनवान**

1. प्रजापति कालुराम पिता भैरा कुम्हार निवासी चावण्डखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामलाल पिता लालु गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. अर्जुन पिता तौलीराम तेली निवासी हरिपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्यारा पिता नेनु तेली निवासी हरिपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शिवलाल पिता धन्ना तेली निवासी हरिपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नैना पिता मगनीराम तेली निवासी हरिपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जसु पुत्री अम्बालाल कुम्हार निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. देवीलाल पिता खुमा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट**

**प्रेषित :- तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत**


**दिनांक 23.09.2025**

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 23.09.2025 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 149 में अंकित आराजी संख्या 872 रकबा 1.18 है0 भूमि स्थित हैं।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 23.09.2025 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(करुणा लाड़ोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा  
(ए.डी.ओ. रायपुर)